

करेंट अफेयर्स

राजस्थान

(संग्रह)



जुलाई 2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान.....	3
जयपुर में वर्षा जल संचयन.....	3
SC कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की अनुशंसा की.....	4
राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास	6
धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन	7
आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम	9
जगुआर विमान	11
सरिस्का बाघ अभयारण्य (STR)	12
सहरिया जनजाति एवं पीएम-जनमन योजना	13
राजस्थान में दुर्लभ मृदा खनिज उत्पादन.....	16
राजस्थान में वनों की कटाई.....	17
राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश	19
खेजड़ी वृक्षों की कटाई	20
राजस्थान शहरी गैस वितरण (CGD) नीति 2025.....	21
राजस्थान में 435 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन.....	22
राजस्थान में भारतीय वायु सेना का वायु अभ्यास	24
डेजर्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिकी पर अध्ययन	24
अनुसूचित जाति समुदाय के लिये राजस्थान सरकार की योजना	26
अभ्यास बोल्लड कुरुक्षेत्र 2025.....	28
मिशन हरियालो राजस्थान.....	29
थार रेगिस्तान में हड़प्पा स्थल की खोज.....	30

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान

जयपुर में वर्षा जल संचयन

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के जयपुर ज़िले के कूकस क्षेत्र में 15 करोड़ लीटर जल संरक्षण क्षमता विकसित किये जाने के पश्चात **वर्षा जल संचयन** और **सिंचाई परियोजना** का उद्घाटन किया गया।

नोट: राजस्थान का 80% क्षेत्र भूजल की कमी से जूझ रहा है; 50% पेयजल और 60% सिंचाई तेजी से घटते जलभृतों (aquifers) पर निर्भर है।

- अत्यधिक निष्कर्षण के कारण लवणता, **फ्लोराइड** और **नाइट्रेट संदूषण** बढ़ जाता है, जिससे कई क्षेत्रों में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं।

मुख्य बिंदु

छोटे किसानों के लिये प्रत्यक्ष लाभ:

- इस परियोजना से 6,000 से अधिक ग्रामीणों, मुख्यतः छोटे किसानों तथा **पशुपालकों** को सीधा लाभ प्राप्त होगा।
 - इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये तक कृषि आय में वृद्धि तथा 10,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिये दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित होने की संभावना है।
- ये तालाब प्रत्येक खेत से प्रत्यक्ष वर्षा **जल संग्रहण** के लिये विकसित किये गए हैं और अनेक तालाब वर्तमान मानसून के दौरान भरने भी लगे हैं।
 - मानसून की समाप्ति तक इस क्षेत्र के तालाब वर्षा आधारित खेतों के लिये स्थायी जल स्रोत बनने की उम्मीद है।
- इससे न केवल तेजी से घटते भूजल स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि यह टिकाऊ कृषि को भी सशक्त रूप से बढ़ावा देगा।

रणनीतिक साझेदारी:

- इस परियोजना को एटॉमिक पावर एवोल्यूशन अवेयरनेस फाउंडेशन तथा हीरो मोटोकॉर्प की **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** शाखा 'Hero We Care' के बीच सहयोग से संचालित किया जा रहा है।
- यह परियोजना कूकस क्षेत्र में क्रियान्वित हो रही है, जहाँ **कछेरावाला नदी** सूख चुकी है और 200 से अधिक कुएँ व हैंडपंप अनुपयोगी हो चुके हैं।
- इस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर घटकर 1,000 फीट तक पहुँच चुका है, जिससे सतही जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है।

जल संरक्षण से संबंधित भारत की पहलें:

- राष्ट्रीय जल नीति, 2012**
- राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)**
- मिशन अमृत सरोवर**
- जल जीवन मिशन (JJM)**

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



● जल शक्ति अभियान (JSA)

● अटल भूजल योजना (ABY)

जल संचयन प्रणाली

- ❖ जल संचयन प्रणाली एक ऐसी प्रौद्योगिकी या संरचना है, जिसे वर्षा जल, सतही अपवाह अथवा अन्य जल स्रोतों को कृषि, घरेलू उपयोग तथा भूजल पुनर्भरण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिये संगृहीत, भंडारित एवं प्रयुक्त करने हेतु विकसित की जाती है।
- ❖ यह एक स्थायी जल प्रबंधन पद्धति है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना तथा जल की कमी की समस्या को दूर करना है।

प्रकार:

- ❖ वर्षा जल संचयन (RWH): छत संग्रहण एवं भूमिगत भंडारण जैसी विधियों के माध्यम से वर्षा जल को एकत्र कर संगृहीत किया जाता है।
- ❖ भूजल पुनर्भरण प्रणालियाँ: पुनर्भरण कुओं जैसी तकनीकों के माध्यम से वर्षा जल को जमीन में रिसाकर भूजल स्तर को बनाए रखने तथा सुधारने में सहायक होती हैं।
- ❖ सतही जल संचयन: तालाबों एवं जलाशयों के माध्यम से भूमि या खुले खेतों से वर्षा जल एकत्र कर सिंचाई तथा अन्य उपयोगों में प्रयुक्त किया जाता है।
- ❖ शहरी जल संचयन: शहरों में छतों तथा सतहों से वर्षा जल को संगृहीत किया जाता है ताकि नगरपालिका जल प्रणालियों पर दबाव कम हो तथा तूफानी जल का प्रबंधन किया जा सके।

SC कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की अनुशंसा की

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

मुख्य बिंदु

❖ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश:

- **प्रक्रिया:** उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित प्रक्रिया का पालन करती है, जिसे विभिन्न ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से स्थापित किया गया था, जैसे कि द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) तथा तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) में इसे और स्पष्ट किया गया था।
 - ❑ कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की अनुशंसा करने का अधिकार करती है, जिसमें सरकार की भूमिका सीमित होती है।
 - ❑ तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) के बाद, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रक्रिया ज्ञापन (MoP)** के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को औपचारिक रूप दिया।
- **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति:**
 - ❑ उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिये कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





कॉलेजियम सिस्टम

- ◊ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- ◊ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- ◊ अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - ◊ राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- ◊ लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- ◊ **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
 - ◊ इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
 - ◊ इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- ◊ **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
 - ◊ सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
 - ◊ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- ◊ **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
 - ◊ राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- ◊ यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- ◊ NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- ◊ लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- ◊ अपारदर्शिता
- ◊ भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- ◊ कार्यपालिका का बहिष्करण
- ◊ नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यह कॉलेजियम उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये अनुशंसित व्यक्ति के बारे में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा उस उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए राय बनाएगा।

● उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये प्रक्रिया ज्ञापन (MoP):

- उच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसा: उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उस न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्ति के लिये नामों की अनुशंसा करता है।
- राज्य स्तरीय समीक्षा: अनुशंसाएँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास उनके विचार जानने के लिये भेजी जाती हैं, हालाँकि उनके पास अनुशंसा को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है।
- केंद्र सरकार की प्रक्रिया: राज्यपाल अनुशंसाओं को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के पास भेजते हैं, जो पृष्ठभूमि की जाँच करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम समीक्षा: इसके बाद अनुशंसाएँ CJI को भेजी जाती हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम से परामर्श करते हैं। अगर मंजूरी मिल जाती है, तो नाम अंतिम मंजूरी के लिये राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं।

♦ सरकार की भूमिका नियुक्तियों में देरी करने या चिंता व्यक्त करने तक सीमित है, लेकिन वह कॉलेजियम की अनुशंसाओं को रद्द नहीं कर सकती।

♦ कॉलेज सिस्टम:

- यह न्यायाधीशों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रणाली है जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा।

नियुक्ति	परामर्श
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति	सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति	2 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण	दोनों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश।

राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास

चर्चा में क्यों ?

एक उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात और राजस्थान में 36,296 करोड़ रुपए से अधिक की 18 प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों की समीक्षा की गई, जिसमें परियोजना निगरानी समूह (PMG) तंत्र के माध्यम से बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य बिंदु

♦ बैठक का मुख्य लक्ष्य:

- बैठक में ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य राजस्थान और गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से सौर ऊर्जा निकालना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- 14,147 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ, यह योजना राष्ट्रीय ग्रिड में सौर ऊर्जा को एकीकृत करने के लिये उच्च क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के विकास पर केंद्रित है।
- राजस्थान में यह परियोजना जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर को कवर करती है, जबकि गुजरात में यह सुरेंद्रनगर, पाटन तथा कच्छ पर केंद्रित है, जो सौर ऊर्जा क्षमता से समृद्ध क्षेत्र हैं।
 - ये परियोजनाएँ पूरे भारत में उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक विश्वसनीय विद्युत संचरण सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- बैठक में ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचे पर प्रगति को तीव्र करने के लिये मार्गाधिकार (RoW) और भूमि अधिग्रहण जैसी प्रमुख कार्यान्वयन चुनौतियों के समाधान को प्राथमिकता दी गई।
 - राज्य सरकार के अधिकारियों ने दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण वन संबंधी मंजूरी में तीव्रता लाने पर ध्यान केंद्रित किया।

❖ राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन:

- सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है, जिसकी स्थापित सौर क्षमता 22,860.73 मेगावाट है।
- राज्य को प्रतिवर्ष 325 से अधिक सूर्य प्रकाशित दिन प्राप्त होते हैं, जो इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये आदर्श बनाता है।
- राजस्थान ने सभी भारतीय राज्यों के बीच स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 18.63% की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर्ज की।
- वर्ष 2023 में, राजस्थान में ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे अधिक स्थापित क्षमता 22,398 मेगावाट होगी, जिसके बाद गुजरात में 19,436 मेगावाट की क्षमता होगी।
- वर्ष 2024 तक राजस्थान ने 18 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता को पार कर लिया है, जिससे भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो गई है।
- राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना है, ताकि वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की जा सके।
- यह नीति राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने पर केंद्रित है और इसमें बड़े पैमाने पर सौर पार्क तथा छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के उपाय शामिल हैं।
- यह पवन, हाइड्रिड और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा पहल को भी बढ़ावा देता है।

नोट: अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया, जो जर्मनी से आगे है।

धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने राजस्थान में धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य इसे क्षेत्र के स्कूली बच्चों तथा युवाओं के लिये नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का जीवंत केंद्र बनाना है।

मुख्य बिंदु

❖ धौलपुर विज्ञान केंद्र:

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (NII) और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के सहयोग से आकांक्षी जिलों में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की राष्ट्रीय पहल के हिस्से के रूप में इस केंद्र का विकास किया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- विज्ञान केंद्र व्यावहारिक विज्ञान अनुभव, **STEM- आधारित मॉड्यूल** और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियाँ प्रदान करता है, जो युवा मस्तिष्कों में नवाचार तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।
- यह सरकार की '**विज्ञान सेतु**' अवधारणा का प्रतीक है, जो वैज्ञानिक संस्थानों को वंचित क्षेत्रों से जोड़ता है।
- केंद्र का उद्देश्य छोटे शहरों से उभरने वाले संभावित **स्टार्टअप** के लिये क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना है, जो सरकार के **BioE3 विज्ञान- अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार** के लिये जैव प्रौद्योगिकी अर्थात् ग्रामीण सशक्तीकरण के लिये जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

❖ BioE3 नीति के बारे में:

- BioE3 का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जैव-आधारित उत्पादों का उत्पादन शामिल है।
- यह नीति व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे '**नेट जीरो**' कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था के माध्यम से **सतत विकास** को बढ़ावा देना।

❖ उद्देश्य:

- BioE3 नीति **अनुसंधान एवं विकास (R&D)** और उद्यमिता में नवाचार पर जोर देती है, बायोमैनुफैक्चरिंग, बायो-एआई हब्स तथा बायोफाउंड्रीज़ की स्थापना करती है, भारत के कुशल जैव प्रौद्योगिकी कार्यबल का विस्तार करने का लक्ष्य रखती है, 'पर्यावरण के लिये जीवनशैली' कार्यक्रमों के साथ संरेखित करती है एवं पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के विकास को लक्षित करती है।
- BioE3 नीति का उद्देश्य जैव-विनिर्माण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से, विशेष रूप से **द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों** में, महत्वपूर्ण रोज़गार सृजन करना है।
- ये केंद्र स्थानीय बायोमास का उपयोग करेंगे, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास और समान विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- नीति में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिये नैतिक जैव सुरक्षा और वैश्विक विनियामक संरेखण पर भी जोर दिया गया है, साथ ही उत्तरदायित्व जैव प्रौद्योगिकी विकास को भी सुनिश्चित किया गया है।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP)

❖ परिचय:

- जनवरी 2018 में शुरू किया गया **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP)** एक लक्षित शासन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य भारत के 112 सबसे अविक्सित ज़िलों में बदलाव लाना है।
- **नीति आयोग** द्वारा संचालित तथा एकीकरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों से प्रेरित ADP का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है।

❖ मुख्य सफलताएँ:

- डाटा-संचालित दृष्टिकोण: सामाजिक-आर्थिक विषयों में 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) का प्रयोग करके प्रगति का आकलन किया जाता है। मासिक डेल्टा रैंकिंग डाटा-संचालित निर्णय लेने और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करती है।
- स्थानीयकृत कार्यान्वयन: मुख्य चालक के रूप में राज्य ज़िला-विशिष्ट चुनौतियों के अनुरूप शासन को सक्षम बनाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी और **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- समावेशन और SDG स्थानीयकरण: सीमांत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा के “लीव नो वन बिहाइंड (LNOB)” सिद्धांत के अनुरूप है।
- क्षमता निर्माण: NITI आयोग, मंत्रालयों, विकास भागीदारों और ज़िला स्तरीय अधिकारियों के बीच सहयोग से ज़मीनी स्तर पर शासन क्षमता में वृद्धि हुई है।
- प्रमुख क्षेत्रों में सुधार:
 - स्वास्थ्य एवं पोषण: पोषण अभियान जैसे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से बाल कुपोषण और **मातृ मृत्यु दर** में कमी।
 - बुनियादी ढाँचा विकास: पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास और सड़क निर्माण परियोजनाओं में तीव्रता लाना।

आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

आकांक्षी DMF कार्यक्रम जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) पहलों को **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)** और **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP)** के साथ **संरेखित** करने के लिये शुरू किया गया है।

- राजस्थान सहित अन्य राज्यों को **संशोधित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) 2024** दिशानिर्देशों को DMF नियमों में अपनाने के लिये **सम्मानित** किया गया है।

मुख्य बिंदु

- ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) के बारे में:
 - खान एवं खनिज विकास विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015** के अनुसार, खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक **ट्रस्ट** की स्थापना करेगी, जिसे **ज़िला खनिज फाउंडेशन** कहा जाएगा।
- DMF फंड:
 - प्रत्येक खनन पट्टा धारक को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार **रॉयल्टी** का एक अंश, जो रॉयल्टी के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगा, **DMF** को देना होगा।
 - इस निधि का उपयोग **खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के कल्याण** के लिये किया जाएगा।
- उद्देश्य:
 - इस योगदान के पीछे यह विचार है कि स्थानीय **खनन प्रभावित समुदायों**, जिनमें से अधिकांश **आदिवासी** हैं और जो देश के सबसे गरीब हैं, को भी अपने निवास स्थान से निकाले गए **प्राकृतिक संसाधनों** से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये।
- कार्य:
 - DMF ट्रस्टों** का कामकाज और निधियों का उपयोग, संबंधित राज्यों के **DMF नियमों** द्वारा शासित होता है तथा इसमें केंद्रीय दिशानिर्देश, **प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** के अधिदेश शामिल होते हैं।
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)**

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ नोडल मंत्रालय:

- वर्ष 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY), खान मंत्रालय द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के तहत अर्जित धन का उपयोग करते हुए प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण के लिये चलाई जा रही एक योजना है।

❖ उद्देश्य:

- खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, जो राज्य तथा केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक हों।
- खनन के दौरान और उसके बाद, खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना।
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिये दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।

❖ PMKKKY 2024 दिशानिर्देश:

- PMKKKY 2024 में यह अनिवार्य किया गया है कि DMF निधि का कम-से-कम 70% हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च किया जाए, जो खनन प्रभावित समुदायों के प्रत्यक्ष कल्याण से संबंधित हों।
 - ❖ इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों का कल्याण, कौशल विकास और आजीविका सृजन, स्वच्छता तथा आवास, कृषि एवं पशुपालन शामिल हैं।
- शेष 30% धनराशि का उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है, जो दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास को समर्थन प्रदान करते हैं।
- इन क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना, सिंचाई एवं ऊर्जा, जलग्रहण विकास शामिल हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)

- ❖ इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य उन जिलों में बदलाव लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति की है।
- ❖ आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं, जो कमजोर सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं।
- ❖ इसमें देश के 112 जिले शामिल हैं।
- ❖ इस कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग मंत्रालयों ने जिलों की प्रगति को गति देने की ज़िम्मेदारी संभाली है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP)

- ❖ 7 जनवरी 2023 को शुरू ABP का उद्देश्य देश के सबसे कठिन और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये शासन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है।
- ❖ कार्यक्रम की रणनीति मौजूदा योजनाओं को समेकित करने, परिणामों को परिभाषित करने तथा पाँच क्षेत्रों- स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, बुनियादी ढाँचा तथा सामाजिक विकास में 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) के माध्यम से प्रगति की सतर्कतापूर्वक निगरानी सुनिश्चित करने पर आधारित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



जगुआर विमान

चर्चा में क्यों ?

नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान, भारतीय वायु सेना (IAF) का एक जगुआर प्रशिक्षक विमान राजस्थान के चुरू ज़िले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

प्रमुख बिंदु

जगुआर विमान:

❖ पृष्ठभूमि:

- जगुआर एक ब्रिटिश-फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है जो मूलतः ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स और फ्रांसीसी एयर फोर्स में तैनात था।
- जगुआर जेट विमानों को वर्ष 1979 में भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल किया गया था।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने वर्ष 1981 में लाइसेंस प्राप्त संस्करणों का उत्पादन शुरू किया और वर्ष 2008 तक जारी रखा।
- भारत ने विभिन्न कॉन्फिगरेशन में 160 से अधिक जगुआर विमानों को शामिल किया है:
 - ❏ जगुआर IS (एकल-सीट स्ट्राइक फाइटर)
 - ❏ जगुआर IB (दो-सीट प्रशिक्षण विमान)
 - ❏ जगुआर IM (नौसेना संस्करण)

❖ युद्ध इतिहास और वैश्विक संचालक:

- जगुआर विमान का मौरितानिया, चाड, इराक, बोस्निया, पाकिस्तान और हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में सक्रिय उपयोग हुआ है।
- यह विमान यूके, फ्रांस और भारत के लिये परमाणु हथियार डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य कर चुका है।
- वर्षों से फ्रांस, ब्रिटेन, ओमान, इक्वाडोर, नाइजीरिया और भारत जैसे देशों ने इस विमान का संचालन किया है।

❖ इसी तरह की भारतीय वायुसेना दुर्घटनाएँ:

- नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच, वायुसेना ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में प्रशिक्षण मिशनों के दौरान चार विमान दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दी।
- इन दुर्घटनाओं में MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर जैसे विमानों की तकनीकी खराबी प्रमुख कारण रही।

❖ विमान सुरक्षा पर बढ़ती चिंताएँ:

- भारतीय वायुसेना के विमानों के हाल ही में हुए दुर्घटनाओं की श्रृंखला परिचालन विमानों में बार-बार होने वाली तकनीकी समस्याओं का संकेत देती है।
- अधिकांश दुर्घटनाएँ मिग-29 और जगुआर जैसे पुराने प्लेटफॉर्मों से संबंधित थीं, जिससे बेड़े के आधुनिकीकरण और रखरखाव प्रोटोकॉल पर चिंताएँ बढ़ गईं।
- भारतीय वायुसेना ने प्रत्येक मामले में जाँच शुरू कर दी है, लेकिन ऐसी घटनाओं की आवृत्ति गहन प्रणालीगत मूल्यांकन की आवश्यकता की ओर इशारा करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सरिस्का बाघ अभयारण्य (STR)

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति (SC-NBWL), जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कर रहे हैं, ने सरिस्का टाइगर रिज़र्व (STR) के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (Critical Tiger Habitat - CTH) की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

❖ हालाँकि, इस पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद लिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

❖ प्रस्ताव के बारे में:

- ❶ सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर सरिस्का टाइगर रिज़र्व (STR) से संबंधित कई मुद्दों की जाँच कर रही है, जिसमें सीमाओं का पुनर्गठन (rationalisation) भी शामिल है। इस संबंध में केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) ने सुझाव दिया है कि गाँवों के पुनर्वास और पशु चराई जैसी मानव गतिविधियों से होने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिये सीमाओं में बदलाव किया जाए।
- ❷ प्रस्तावित बदलाव: इस पुनर्गठन के तहत CTH का क्षेत्र 881.11 वर्ग किमी से बढ़कर 924.49 वर्ग किमी हो जाएगा, जबकि बफर जोन 245.72 वर्ग किमी से घटकर 203.2 वर्ग किमी रह जाएगा। इस परिवर्तन का उद्देश्य संरक्षण की आवश्यकताओं और विकासात्मक दबावों के बीच संतुलन स्थापित करना है।
- ❸ पारिस्थितिक और कानूनी संदर्भ: सीटीएच को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित किया गया है और इसे मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए।
- ❹ इस पुनः सीमांकन से टाइगर हैबिटेट के पास बंद पड़ी लगभग 50 खनन गतिविधियों को लाभ मिल सकता है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



सरिस्का टाइगर रिजर्व:

- सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है।
- इसे 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था तथा वर्ष 1978 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
- यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक महत्त्व के लिये भी प्रसिद्ध है —
 - यहाँ कंकरवाड़ी किला स्थित है, जहाँ औरंगजेब ने दारा शिकोह को बंदी बनाया था।
 - पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडवों की कथा से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है।
- भौगोलिक विशेषताएँ:** सरिस्का का परिदृश्य पथरीली भूमि, घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियाँ और अर्द्ध-पर्णपाती वन से युक्त है। यहाँ की वनस्पति में ढोक, सालर, कड़ाया, बेर, गुग्गल और बाँस शामिल हैं।
- वन्यजीव:** यह अभयारण्य रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर और लकड़बग्घा जैसे विविध प्राणियों का आवास है।
- जल स्रोत:** सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास **जय समंद झील** और **सिलिसेढ़ झील** जैसे महत्वपूर्ण जल स्रोत भी स्थित हैं।

NBWL क्या है ?

- NBWL:** NBWL वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (WPA, 1972) के तहत गठित वन्यजीव संरक्षण और विकास पर एक सर्वोच्च वैधानिक निकाय है।
- संरचना:** NBWL एक 47 सदस्यीय समिति है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं।
- इसके सदस्यों में शामिल हैं:
 - वन्यजीव संरक्षण में शामिल अधिकारी
 - थल सेनाध्यक्ष, रक्षा सचिव और व्यय सचिव।
 - केंद्र सरकार द्वारा नामित दस प्रख्यात संरक्षणवादी, पारिस्थितिकीविद् और पर्यावरणविद्।
- कार्य:** इसका उद्देश्य वन्यजीव और वन के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देना है।
- बाघ अभयारण्यों में कार्य:** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के मार्गदर्शन से किसी भी बाघ अभयारण्य को बिना अनुमति के असंवहनीय उपयोग के लिये हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

सहरिया जनजाति एवं पीएम-जनमन योजना**चर्चा में क्यों ?**

राजस्थान के बारां जिले के एक दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने वाले **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) सहरिया समुदाय** को 78 वर्षों में पहली बार बिजली मिली है।

- यह प्रगति **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)** के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

सहरिया जनजाति के बारे में:

- सहरिया जनजाति राजस्थान की 12 अधिसूचित जनजातियों में से एक है और इसे PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सहरिया को कोलारियन परिवार और **भीलों** की उप शाखा माना जाता है। सहरिया समुदाय को सेहर, सायर, सावर, सोनार, सहारा आदि नामों से भी जाना जाता है।
- भारत की लगभग 7% जनजातीय आबादी राजस्थान में रहती है।

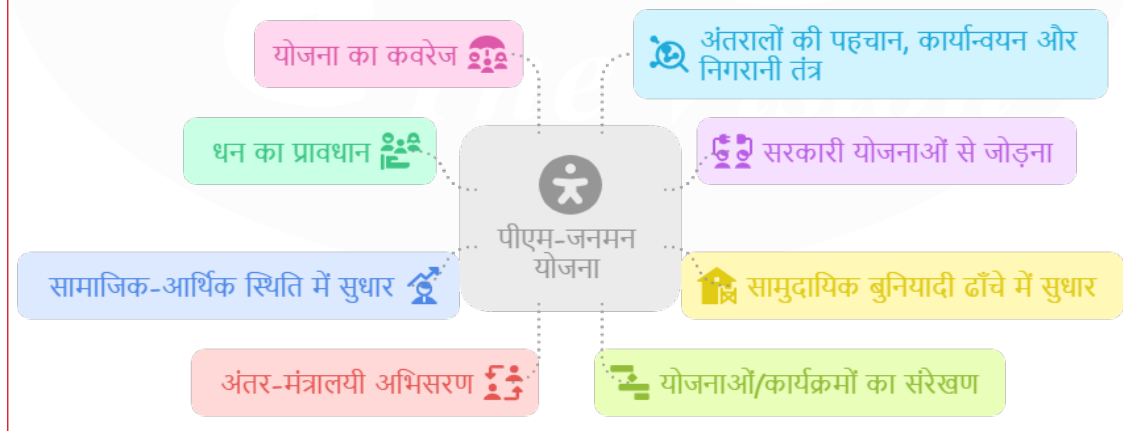
जनसांख्यिकीय स्थिति:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, **मीणा**, भील और गरासिया समुदायों के बाद सहरिया राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है।
- राजस्थान में **बारां ज़िला**, विशेष रूप से किशनगंज और शाहबाद तहसीलों, सहरिया जनजाति की मुख्य आबादी को आश्रय देती हैं।
- इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश के **मुरैना**, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, दतिया, विदिशा और गुना जिलों में भी सहरिया जनजाति निवास करती है।

परंपरागत कार्य एवं कौशल:

- सहरिया समुदाय को शिकार और मछली पकड़ने का विशेष शौक होता है।
- यह समुदाय जड़ी-बूटियों के ज्ञान के साथ-साथ मधुमक्खियों के छत्तों से शहद एकत्र करने में भी निपुण होता है।
- इसके अतिरिक्त, टोकरी बनाना, रस्सी और झाड़ू बनाना, वनों से लकड़ी काटना आदि इनके पारंपरिक कार्य हैं।

पीएम-जनमन योजना की विशेषताएँ



पीएम-जनमन योजना:

- 15 नवंबर 2023 को **जनजातीय गौरव दिवस** पर शुरू की गई पीएम-जनमन, PVTG के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार के लिये 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- पीएम-जनमन में PVTG की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिये केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं।
- इस योजना का कुल परिव्यय तीन वर्ष की अवधि में 24,104 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है, जिसमें से लगभग 80% केवल घरों और सड़कों के निर्माण के लिये है।
- पीएम-जनमन के आवास घटक को लागू करने हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत अगले तीन वर्षों के लिये 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)

परिचय:

- PVTG एक अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उस वर्ग का उप-वर्गीकरण है जिसे नियमित अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है। भारत सरकार ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये PVTG सूची बनाई।

भारत में प्रमुख जनजातियाँ



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❏ भारत में 75 PVTG हैं, जिसमें सबसे अधिक 13 ओडिशा में हैं तथा इसके बाद 12 आंध्र प्रदेश में हैं।

- ❏ अनुच्छेद 342(1): किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति (राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद) उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में जनजातियों/आदिवासी समुदायों/जनजातियों/आदिवासी समुदायों के हिस्से या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।

❏ किसी भी जनजाति, आदिवासी समुदाय, या किसी जनजाति तथा आदिवासी समुदाय के हिस्से एवं समूह को कानून के माध्यम से संसद द्वारा अनुच्छेद 342(1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट ST की सूची में शामिल किया जा सकता है या हटाया जा सकता है; हालाँकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, को छोड़कर उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना किसी भी बाद की अधिसूचना से भिन्न नहीं होगी।

❖ PVTG के कल्याण से संबंधित पहल:

- ❏ जातीय गौरव दिवस
- ❏ विकसित भारत संकल्प यात्रा
- ❏ प्रधानमंत्री PVTGs मिशन

राजस्थान में दुर्लभ मृदा खनिज उत्पादन

चर्चा में क्यों?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और परमाणु खनिज निदेशालय (AMD) द्वारा किये गए सर्वेक्षणों से राजस्थान के बालोतरा स्थित सिवाना तहसील के भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के बड़े भंडार का पता चला है।

- ❖ सर्वेक्षणों, प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढाँचे में हो रही प्रगति के चलते, राजस्थान निकट भविष्य में वैश्विक दुर्लभ मृदा खनिज बाज़ार का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है।

मुख्य बिंदु

राजस्थान में दुर्लभ मृदा भंडार के बारे में:

❖ भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज ब्लॉक:

- ❏ बालोतरा के भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों का महत्वपूर्ण भंडार है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिये महत्वपूर्ण 17 उच्च-मांग वाले तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि करता है।
- ❏ यह देश का पहला ऐसा ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसमें कठोर चट्टान ग्रेनाइट में दुर्लभ मृदा खनिज मौजूद होंगे, जो खनिज निष्कर्षण के लिये अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
- ❏ जी2 स्तर के सर्वेक्षण से इन खनिजों के बड़े भंडार की पुष्टि होती है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण खोज बन गई है।

❖ सर्वेक्षण और खनन प्रक्रिया:

- ❏ GSI तथा AMD द्वारा बालोतरा और जालोर जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। भाटी खेड़ा में सर्वेक्षण लगभग पूर्ण होने के निकट है। केंद्र सरकार शीघ्र ही इन खनिजों के खनन पट्टों की नीलामी करेगी, जिससे निजी कंपनियों तथा राज्य एजेंसियों के लिये अवसर खुलेंगे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- चूँकि भाटी खेड़ा के आसपास कोई **वन्यजीव अभयारण्य** या संरक्षित क्षेत्र नहीं है, अतः यहाँ पर्यावरणीय या स्थानीय स्तर की चुनौतियाँ न्यूनतम हैं।

दुर्लभ मृदा खनिजों के बारे में

- दुर्लभ मृदा खनिज वे खनिज हैं, जिनमें एक या एक से अधिक दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements - REEs) प्रमुख धात्विक घटक के रूप में उपस्थित होते हैं।
- दुर्लभ मृदा तत्वों में **आवर्त सारणी** के 15 लैंथनाइड, स्कैन्डियम और यट्रियम शामिल हैं।
- इनका उपयोग उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट्स, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों तथा रक्षा क्षेत्र में किया जाता है।

महत्वपूर्ण खनिज:

- वे खनिज जो किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, तकनीकी विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं तथा जिनकी आपूर्ति बाधित हो सकती है, उन्हें 'महत्वपूर्ण खनिज' कहा जाता है।
- इनकी आपूर्ति पर संकट उन स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है जब इनका खनन या प्रसंस्करण केवल कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित हो या किसी भू-राजनीतिक जोखिम के अधीन हो। भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है, जिनमें **एंटिमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट और जर्मेनियम** प्रमुख हैं।
- चीन इन खनिजों के वैश्विक प्रसंस्करण पर प्रभुत्व रखता है तथा दुर्लभ मृदा खनिजों की प्रसंस्करण क्षमता का लगभग 80-90% नियंत्रित करता है।
- भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिये विशेष रूप से चीन पर निर्भर है।

महत्वपूर्ण खनिजों पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये भारत की पहल:

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन
- खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)
- मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP)
- ऑस्ट्रेलिया के साथ निवेश साझेदारी
- वर्ष 1957 के खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में वर्ष 2023 का संशोधन
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण परियोजनाएँ

राजस्थान में वनों की कटाई

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जयपुर के **डोल का बाध वन** और बारां के शाहाबाद संरक्षण रिज़र्व में वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिये हजारों वृक्षों को काटने की राज्य सरकार की कार्रवाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

- सरकार की यह कार्रवाई राज्य की हरित प्रतिबद्धताओं और चल रहे '**हरियालो राजस्थान**' वृक्षारोपण अभियान के सीधे विपरीत है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

डोल का बाध वन:

- यह दक्षिण जयपुर में 100 एकड़ का एक दुर्लभ हरा-भरा क्षेत्र है, जिसमें खेजड़ी के वृक्षों सहित लगभग 2,500 वृक्ष हैं।
- यह क्षेत्र 80 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आश्रयस्थल है तथा तापमान नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण में सहायक है।
- यह बढ़ते प्रदूषण और शहरी विस्तार के बीच जयपुर के लिये एक महत्वपूर्ण “ग्रीन लंग” (हरित फेफड़ा) के रूप में कार्य करता है।
- वनों की कटाई का कारण: इस वन भूमि पर प्रधानमंत्री युनिटी मॉल और वाणिज्यिक ब्लॉकों के निर्माण का प्रस्ताव।
- सार्वजनिक प्रतिक्रिया: क्षेत्र को जैवविविधता पार्क घोषित करने की मांग।

शाहाबाद संरक्षण रिज़र्व:

- परिचय: यह क्षेत्र राजस्थान के सबसे सघन वनों में से एक है, जो बारां में स्थित है तथा कुनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) को मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर (राजस्थान) से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा है।
- चिंता: यह गलियारा बाघों और चीता प्रजातियों की आवाजाही तथा आनुवंशिक विविधता के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं इसमें कोई भी बाधा चीता पुनर्स्थापन परियोजना की सफलता को संकट में डाल सकती है।
- वनों की कटाई का कारण: एक निजी बिजली संयंत्र के लिये 1.19 लाख से अधिक वृक्षों की कटाई प्रस्तावित।

कुनो राष्ट्रीय उद्यान

- स्थिति: यह मध्य प्रदेश में स्थित है तथा कुनो वन्यजीव प्रभाग का एक हिस्सा है।
- पारिस्थितिकी महत्व: कुनो क्षेत्र में विशिष्ट करधई, खैर और सालै वनों के साथ-साथ विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं। आर्द्रता के प्रति संवेदनशील करधई वृक्ष पार्क के लचीलापन को दर्शाता है।
- कुनो नदी वर्षभर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती है।
- वन्यजीव महत्व: यह चीता और शेर पुनर्स्थापन प्रयासों के लिये एक प्रमुख स्थल है।
- संरक्षण निहितार्थ: यह क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गई चीता पुनर्स्थापन परियोजना में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है।

मुकुंदरा टाइगर रिज़र्व

- स्थिति: यह दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में, कोटा से लगभग 50 किमी दूर, चंबल नदी के पूर्वी तट पर स्थित है।
- ऐतिहासिक महत्व: इसे पूर्व में दर्रा वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था और यह कोटा के महाराजा का शाही शिकार क्षेत्र हुआ करता था।
- संरक्षित स्थिति: इसे वर्ष 2004 में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जो लगभग 200 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है।
- इसमें दर्रा, चंबल और जसवंत सागर वन्यजीव अभयारण्यों को शामिल किया गया है।
- टाइगर रिज़र्व का दर्जा: इसे वर्ष 2013 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की स्वीकृति के बाद राजस्थान का तीसरा टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया।
- पारिस्थितिकीय भूमिका: चंबल नदी और इसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में आवासीय विविधता तथा जल सुरक्षा को सहारा प्रदान करती हैं।
- वन्यजीव महत्व: वर्तमान में यह रणथंभौर से लाए गए चार बाघों का निवास है, जो बाघों की आबादी विस्तार और भूदृश्य-स्तर संरक्षण में सहायक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान

- ❖ **स्थान:** दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित, जयपुर से लगभग 130 किमी. दूर।
- ❖ **पारिस्थितिकी महत्त्व:** उत्तरी भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक, जो अपनी समृद्ध जैवविविधता तथा सुंदर परिदृश्यों के लिये जाना जाता है।
- ❖ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** पूर्व में जयपुर के महाराजाओं का शाही शिकारगाह, वर्तमान यह एक प्रमुख वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में स्थापित है।
- ❖ **वन्यजीव आकर्षण:** रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के लिये एक प्रमुख गंतव्य, जो दुनिया भर से वन्यजीव फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करता है।
- ❖ **पर्यटन:** रणथंभौर की विरासत, वन्य क्षेत्र और वन्य जीवन का मिश्रण इसे पारिस्थितिकी पर्यटन तथा विरासत पर्यटन दोनों के लिये एक प्रमुख आकर्षण बनाता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों ?

न्यायमूर्ति कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम को राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।

मुख्य बिंदु

न्यायमूर्ति कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम के बारे में:

- ❖ न्यायमूर्ति श्रीराम का राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यकाल संभवतः 69 दिन का होगा, क्योंकि 27 सितंबर 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है।
- ❖ न्यायमूर्ति श्रीराम ने मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव का स्थान लिया है, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है।
- ❖ न्यायमूर्ति श्रीराम ने वर्ष 2013 से 26 सितंबर 2024 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में सेवा की थी, इसके बाद 27 सितंबर 2024 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने तथा उसके बाद उनका स्थानांतरण राजस्थान उच्च न्यायालय में हो गया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- ❖ **संविधान का अनुच्छेद 217:** यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
 - ☉ मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- ❖ **परामर्श प्रक्रिया:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
 - ☉ यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
 - ☉ सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की सलाह देता है।
 - ☉ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा।
 - ☐ पदोन्नति पर निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



खेजड़ी वृक्षों की कटाई

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के थार रेगिस्तान, विशेषकर बीकानेर ज़िले में एक गंभीर पर्यावरणीय संघर्ष उभरकर सामने आया है, जहाँ सौर ऊर्जा कंपनियाँ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सदियों पुराने खेजड़ी वृक्षों की कटाई कर रही हैं।

❖ 'हरियाली' (पर्यावरण संरक्षण) और 'हरित ऊर्जा' (सौर ऊर्जा विकास) के मध्य उत्पन्न इस संघर्ष ने स्थानीय किसानों एवं पर्यावरणविदों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है, जो कठोर वृक्ष संरक्षण कानूनों की माँग कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

❖ खेजड़ी वृक्ष के बारे में:

- ❶ खेजड़ी या खेजरी (*Prosopis cineraria*), जिसे राजस्थान में शमी के नाम से भी जाना जाता है, एक कठोर, सूखा-प्रतिरोधी वृक्ष है, जो रेगिस्तानी पर्यावरण में अस्तित्व के प्रतीक के रूप में जाना जाता है।
- ❷ राजस्थान के पश्चिमी जिलों के खेतों में सैकड़ों वर्ष पुराने खेजड़ी वृक्ष आसानी से मिल जाते हैं।
- ❸ खेजड़ी के पत्ते, जिन्हें स्थानीय रूप से 'लूक' कहा जाता है, ऊँट, बकरी, भेड़ आदि जैसे पालतू पशुओं के लिये पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग किये जाते हैं।
- ❹ इसके फल सांगरी को राजस्थानी भोजन में विशेष महत्त्व प्राप्त है।

❖ मान्यता:

- ❶ खेजड़ी को वर्ष 1983 में आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था।
- ❷ इसके साथ ही राज्य सरकार ने इसकी सुरक्षा हेतु प्रतिबंध लगाए, जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1965 तथा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध शामिल है।

❖ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्व:

- ❶ वर्ष 1730 ई. में, जोधपुर से लगभग 26 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित एक छोटा-सा गाँव भारत के प्रथम और तीव्र पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों में से एक का केंद्र बना।
- ❷ इस आंदोलन के 'शहीद' (विशेष रूप से अमृता देवी) बिश्नोई समुदाय के सदस्य थे, जिन्होंने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी।
- ❸ 1970 के दशक में यह बलिदान चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना।

❖ संरक्षण के लिये वैकल्पिक रणनीतियाँ:

❖ पर्यावरणविदों का तर्क है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन ऐसे विकल्पों के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिनके लिये वृहद स्तर पर वनों की कटाई आवश्यक नहीं है।

❖ उदाहरणस्वरूप, सौर पैनलों की स्थापना छतों, सरकारी भवनों अथवा नहरों की सतह पर की जा सकती है (जैसे पंजाब में सफलतापूर्वक लागू परियोजनाएँ)।

❖ हालाँकि ये उपाय महँगे सिद्ध हो सकते हैं, किंतु ये इस क्षेत्र की जैवविविधता संरक्षण में सहायक सिद्ध होंगे।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान शहरी गैस वितरण (CGD) नीति 2025

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान **मंत्रिमंडल** ने राजस्थान शहरी गैस वितरण (CGD) नीति 2025 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्य में गैस-आधारित ऊर्जा ढाँचे को सशक्त करना है।

- ❖ CGD नेटवर्क, **पाइपड नेचुरल गैस (PNG)** और **कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG)** की आपूर्ति हेतु भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की एक परस्पर जुड़ी प्रणाली है।

मुख्य बिंदु

राजस्थान शहरी गैस वितरण (CGD) नीति 2025

❖ परिचय:

- इस नीति को जनता को **स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस** की आपूर्ति को **सुविधाजनक** बनाने हेतु डिजाइन किया गया है, साथ ही यह राज्य में **कार्बन उत्सर्जन में कमी** लाने में भी सहायक होगी।

❖ नीति की समयावधि:

- यह नीति **31 मार्च, 2029** तक अथवा इसके स्थान पर कोई अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।
- यह **पाँच वर्ष** की वैधता सरकार को **मध्यावधि समीक्षा** और आवश्यकता पड़ने पर **सुधार हेतु रूपरेखा** प्रदान करती है।

❖ एकल खिड़की प्रणाली:

- कार्यान्वयन तंत्र के एक भाग के रूप में एक समर्पित CGD पोर्टल विकसित किया जाएगा। यह डिजिटल मंच सभी आवेदनों के प्रबंधन, अनुमोदन की स्थिति पर निगरानी तथा हितधारकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु एकल-खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।
- इस पोर्टल से **पारदर्शिता, जवाबदेही** और **परिचालन गति** में सुधार होने, **नौकरशाही संबंधी देरी** समाप्त होने तथा अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

❖ महत्व:

- **अवसंरचना निवेश:** इस नीति के कार्यान्वयन से CGD अवसंरचना में निवेश वृद्धि होगी, जिससे इस क्षेत्र में **सतत विकास** को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **PNG और CNG नेटवर्क का विस्तार:** यह नीति पाइपड नेचुरल गैस (PNG) तथा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) नेटवर्क के विस्तार में सहायक सिद्ध होगी, विशेष रूप से छोटे शहरों एवं शहरी क्षेत्रों में, जहाँ वर्तमान में इन सुविधाओं की सीमित पहुँच है।
- **सरलीकृत विनियामक प्रक्रियाएँ:** नीति में CGD कंपनियों हेतु सरलीकृत और समयबद्ध प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे गैस अवसंरचना की स्थापना एवं संचालन के लिये आवश्यक अनुमतियाँ, भूमि आवंटन तथा सरकारी अनुमोदन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित की जा सके।
- **पर्यावरणीय एवं आर्थिक प्रभाव:** यह नीति आवासीय, औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

❖ उद्देश्य:

- वर्तमान में **वंचित क्षेत्रों** में प्राकृतिक गैस की पहुँच बढ़ाकर इसका उद्देश्य **पर्यावरणीय स्थिरता** को प्रोत्साहित करना, **जन स्वास्थ्य में सुधार** करना तथा **ऊर्जा अवसंरचना में आर्थिक निवेश** को आकर्षित करना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान में 435 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राजस्थान के बीकानेर ज़िले में 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

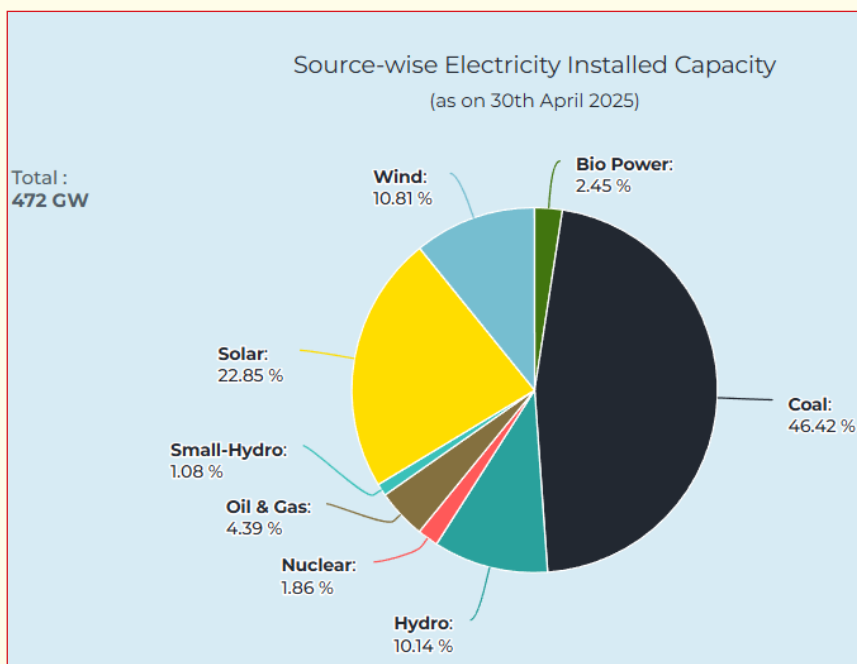
मुख्य बिंदु

परियोजना के बारे में:

- यह परियोजना 1,250 एकड़ में फैली है और इससे प्रतिवर्ष 755 गीगावाट घंटा (GWh) स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। इससे प्रत्येक वर्ष 705,000 टन CO₂ उत्सर्जन को रोका जा सकेगा तथा लगभग 1,28,000 परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
- इस परियोजना में मॉड्यूल दक्षता बनाए रखने के लिये 1,300 से अधिक रोबोटिक सफाई इकाइयाँ शामिल हैं।

नोट:

- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के इंजीनियरों ने सौर पैनलों से धूल हटाने के लिये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण का उपयोग करते हुए एक जलरहित, संपर्क रहित सफाई विधि विकसित की है।
- एक साधारण इलेक्ट्रोड सौर पैनल की सतह के ऊपर से गुजरता है, जो धूल के कणों को विद्युत आवेश प्रदान करता है, जो पैनल पर उपस्थित आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे वे अलग हो जाते हैं और वस्तुतः सतह से हट जाते हैं।
- भारत की ऊर्जा क्षमता**



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

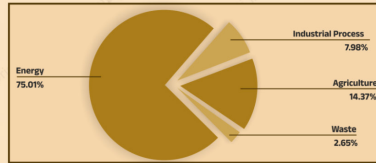


- राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब उसकी कुल विद्युत क्षमता का 70% है, जिसमें सौर ऊर्जा से 29.5 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 5.2 गीगावाट शामिल है, जिससे यह राज्य भारत में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार (जून 2025 तक), राजस्थान (31,967 मेगावाट), गुजरात (21,451 मेगावाट) और महाराष्ट्र (12,575 मेगावाट) स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में अग्रणी राज्य हैं।
 - गुजरात (13,816 मेगावाट), तमिलनाडु (11,830 मेगावाट), कर्नाटक (7,714 मेगावाट), महाराष्ट्र (5,307 मेगावाट) और राजस्थान (5,208 मेगावाट) पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं।
- राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, जिसका लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।
- ♦ भारत द्वारा वर्ष 2030 की समय-सीमा से पाँच वर्ष पहले ही अपनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने के साथ, गोरबिया परियोजना, स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु लक्ष्यों और आर्थिक विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
- ♦ भारत का जलवायु लक्ष्य

भारत की जलवायु परिच्छेदिका/प्रोफाइल

क्षेत्रवार योगदान

- ④ प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र: ऊर्जा, परिवहन, निर्माण



- ④ प्रमुख जलवायु जोखिम: बाढ़, सूखा, हीटवेव, कोल्डवेव और चक्रवात
- ④ कमज़ोर क्षेत्र: कृषि और खाद्य, जल, तटीय, स्वास्थ्य, वन और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रमुख पहल

- ④ राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
 - जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)
- ④ भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (वर्ष 2022)
- 'जीवन' के लिये जन आंदोलन - 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली'
 - आर्थिक विकास हेतु जलवायु-अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना
 - वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
 - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संघयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता
 - 2.5 से 3 बिलियन टन CO₂ का अतिरिक्त कार्बन सिंक
 - विशिष्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से अपनाना
 - घरेलू और नई एवं अतिरिक्त निधियाँ एकत्रित करना

- क्षमताओं का निर्माण करना, घरेलू ढाँचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना
- ④ अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता - UNFCCC (1994) कन्वेंशन और समझौते
 - पेरिस समझौता (2015)
 - क्योटो प्रोटोकॉल (2005)

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग

द्विपक्षीय परियोजनाएँ

- ④ क्यूश गेसेलशाफ्टफ्यूअर इंटरनेशनल ज़ुसामेनरबीट (GI2) GmbH (जर्मनी)
- ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त (CAFRI) (वर्ष 2020-2023)
 - राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई (NAMAs) (वर्ष 2007)
 - ग्लोबल कार्बन मार्केट (GCM) (वर्ष 1997)
 - जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्रवाई पर क्षमताओं का संस्थागतकरण (ICCC)
- ④ यूरोपीय संघ (EU)
- पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये रणनीतिक साझेदारी (SPIPA) (वर्ष 2018-2022)
 - इको-सिटीज़ के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ और ऊर्जा दक्षता

बहुपक्षीय परियोजनाएँ

- ④ संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (वर्ष 2019)
- ④ अनुकूलन पर वैश्विक आयोग (GCA) (2018)
- ④ UNDP: राज्य-स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बाज़ार परिवर्तन और बाधाओं को दूर करना



Drishti IAS

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान में भारतीय वायु सेना का वायु अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

भारतीय वायु सेना (IAF) राजस्थान के **सीमावर्ती जिलों** में एक महत्वपूर्ण वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अपनी परिचालन तैयारी और रणनीतिक क्षमताओं का परीक्षण करना था।

मुख्य बिंदु

- ♦ अवधि: तीन दिन (23-25 जुलाई, 2025)
- ♦ स्थान: राजस्थान में (जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर) पाकिस्तान सीमा के निकट।
- ♦ उद्देश्य: परिचालन तैयारी का परीक्षण करना और रणनीतिक अभ्यास आयोजित करना।
- ♦ नागरिक हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध:
 - ⦿ इस अभ्यास के दौरान एक **नोटिस टू एयरमैन (NOTAM)** जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत नागरिक वायु यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
 - ⦿ इसका उद्देश्य IAF को ड्रोन, **मिसाइल** और **अन्य लड़ाकू विमानों** के संचालन हेतु निर्बाध हवाई क्षेत्र उपलब्ध कराना है।
- ♦ शामिल विमान:
 - ⦿ इस अभ्यास में **राफेल**, **सुखोई-30**, **मिराज 2000** तथा **जैगुआर** जैसे लड़ाकू विमानों ने दिन-रात हवाई अभ्यास (sorties) किये।
 - ⦿ अभ्यास में हवाई लक्ष्यों को भेदने तथा सटीक ज़मीनी हमलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 - ⦿ यह अभ्यास जोधपुर और बाड़मेर स्थित उत्तरलाई वायुसेना अड्डों से समन्वित रूप से संचालित किया गया तथा जैसलमेर स्थित **पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज** में उड़ानें संचालित की गईं।
- ♦ रणनीतिक महत्त्व:
 - ⦿ यह अभ्यास क्षेत्र में किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि के प्रति भारत की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की तैयारी तथा क्षमता को दर्शाता है।

डेज़र्ट नेशनल पार्क में रैप्टर पारिस्थितिकी पर अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

डेज़र्ट नेशनल पार्क और इसके आसपास के क्षेत्रों में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित एक अध्ययन पहल शुरू की गई है।

मुख्य बिंदु

- ♦ अध्ययन के बारे में:
 - ⦿ इस अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र में प्रजनन करने वाले शिकारी पक्षियों की स्थिति तथा स्थानीय पारिस्थितिकी का आकलन करना है।
 - ⦿ **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** द्वारा प्रारंभ की गई यह परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू हुई और जुलाई 2027 तक जारी रहेगी।
 - ⦿ अध्ययन में शिकारी पक्षियों की गतिविधि और प्रजनन पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही उनकी स्थानिक पारिस्थितिकी तथा संरक्षण आवश्यकताओं को समझने पर भी जोर दिया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



कार्यप्रणाली:

- परियोजना के एक भाग के रूप में, दो गिद्धों, एक टॉनी ईगल और एक किशोर मिस्री गिद्ध को पहले ही **GPS ट्रांसमीटर** तथा बैकपैक हार्नेस से सुसज्जित कर छोड़ा गया है।
- अध्ययन में लाल सिर वाले गिद्ध, सफेद पूँछ वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध, मिस्री गिद्ध, भूरे चील और लैंगर फाल्कन की छह-छह प्रजातियों के जैविक नमूनों का संग्रह भी शामिल है।

कानूनी ढाँचा:

- इस अध्ययन को **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** की धारा 12(A) के तहत अनुमोदित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह अध्ययन कानूनी और नैतिक मानकों के अनुरूप है।
- धारा 12(A) के अनुसार, मुख्य वन्यजीव वार्डन, आवेदन पर और लिखित आदेश के माध्यम से, व्यक्तियों या संस्थाओं को **वन्यजीवों पर वैज्ञानिक अनुसंधान** करने हेतु परमिट देने के लिये अधिकृत होते हैं।

महत्व:

- संरक्षण प्रयास:** इस अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण डाटा संकटग्रस्त शिकारी प्रजातियों के लिये **संरक्षण रणनीतियाँ** विकसित करने में सहायक होगा।
- शिकारी पक्षियों का संरक्षण:** इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से, विशेष रूप से **थार रेगिस्तान** में रैप्टर प्रजातियों और उनके **आवास की सुरक्षा** के उपायों के विकास में योगदान मिलने की अपेक्षा है।

रैप्टर प्रजातियाँ:

- परिचय:** रैप्टर वे पक्षी हैं, जो शिकार करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं तथा **स्तनधारियों, सरीसृपों, उभयचरों**, कीटों के साथ-साथ अन्य पक्षियों को भी मारकर खाते हैं।
- सभी रैप्टर/शिकारी पक्षी मुड़ी हुई **चोंच**, **नुकीले पंजे वाले मजबूत पैर**, तीव्र दृष्टि के साथ ही मांसाहारी होते हैं।
- जनसंख्या:** इंडोनेशिया में सबसे अधिक रैप्टर प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसके बाद कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू का स्थान है।
- उदाहरण:** उल्लू, गिद्ध, बाज, फॉल्कन, **चील**, काइट्स, ब्यूटियो, एक्सीपिटर्स, हैरियर और ओसप्रे।
- संरक्षण के प्रयास:**
 - रैप्टर्स MoU (वैश्विक):** इस समझौते को 'रैप्टर समझौता-ज्ञापन (Raptor MOU)' के नाम से भी जाना जाता है।
 - यह वन्य प्राणियों की **प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)** के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
 - यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
 - भारत रैप्टर्स MoU का हस्ताक्षरकर्ता है।
 - भारत SAVE (Saving Asia's Vultures from Extinction) संघ का भी हिस्सा है।
 - गिद्धों के संरक्षण के लिये भारत ने **गिद्ध कार्ययोजना 2020-25** शुरू की है।
 - पिंजौर (हरियाणा) में **जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (Jatayu Conservation Breeding Centre)** भारतीय गिद्ध प्रजातियों के प्रजनन और संरक्षण के लिये राज्य के बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के भीतर विश्व की सबसे बड़ी अनुकूल जगह है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



डेज़र्ट नेशनल पार्क

भौगोलिक स्थिति:

- यह राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में 3,162 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह थार रेगिस्तान में स्थित है, जो एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है (<100 मिमी) तथा जिसमें रेत के टीले, चट्टानी क्षेत्र एवं रेतीले मैदान शामिल हैं।

वनस्पति और पादप:

- यहाँ की विशेषता विरल वनस्पति है, जिसमें कंटीली झाड़ियाँ, घास के मैदान और टीले सम्मिलित हैं।
- खेजड़ी (*Prosopis cineraria*) जैसी उल्लेखनीय वृक्ष प्रजातियाँ तथा विभिन्न बबूल प्रजातियाँ इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देती हैं।

जीव-जंतु और जैवविविधता:

- यह पार्क 60 स्तनपायी, 51 सरीसृप और 100 पक्षी प्रजातियों का घर है।
- स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डेज़र्ट फॉक्स तथा लौंगवाला टॉड-हेडेड अगामा शामिल हैं।
- यहाँ हूबारा बस्टर्ड जैसे प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं।

अनुसूचित जाति समुदाय के लिये राजस्थान सरकार की योजना

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना' से प्रेरित होकर राजस्थान के अनुसूचित जाति (SC) के निवासियों के लिये डॉ. बी.आर. अंबेडकर से जुड़े पाँच ऐतिहासिक स्थलों तक मुफ्त रेल यात्रा की योजना शुरू की है।

मुख्य बिंदु

योजना के बारे में:

- इस पहल का उद्देश्य डॉ. अंबेडकर के जीवन और कार्य से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान करके उनकी विरासत का सम्मान करना है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर से संबंधित स्थल:

अंबेडकर जन्मस्थान (महू, मध्य प्रदेश):

- भीम जन्मभूमि, अंबेडकर की 100वीं जयंती पर उद्घाटन किया गया एक स्मारक है, जो प्रतिवर्ष लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) पर, जो सामाजिक समानता और स्मरण के केंद्र के रूप में कार्य करता है।

दीक्षा भूमि (नागपुर, महाराष्ट्र):

- यह स्थल 14 अक्टूबर 1956 को डॉ. अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने का प्रतीक है, जहाँ उनके 4,00,000 से ज्यादा अनुयायी थे। यहाँ एशिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है और यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें हर साल लाखों लोग आते हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर

(14 अप्रैल, 1891-06 दिसंबर, 1956)

बाबासाहेब अंबेडकर

भारतीय संविधान के जनक



संक्षिप्त परिचय

- एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक और तुलनात्मक धर्मों के विचारक
- वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942) में श्रम मामलों के जानकार सदस्य
- नए संविधान के लिये मसौदा समिति के अध्यक्ष
- भारत के प्रथम विधि मंत्री
- मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित (1990)

योगदान

- हिंदुओं के खिलाफ वर्ष 1927 में महाइ सत्याग्रह का नेतृत्व
- तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया
- दलित वर्गों के लिये पृथक् निर्वाचक मंडल के विचार को त्यागने के लिये महात्मा गांधी के साथ वर्ष 1932 के पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये
- प्रांतीय विधायिकाओं में वंचित वर्गों के लिये आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में 18% कर दिया गया था।
- जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे का विरोध (अनुच्छेद 370)
- समान नागरिक संहिता का समर्थन
- अनुच्छेद 32 को "संविधान की आत्मा और इसके हृदय" के रूप में संदर्भित किया

त्याग-पत्र और बौद्ध धर्म

- हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण वर्ष 1951 में उन्हें कैबिनेट से त्याग-पत्र देना पड़ा
- बौद्ध धर्म को अपनाया; उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है

महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ

- मूकनायक (1920)
- बहिष्कृत भारत (1927)
- समता (1929)
- जनता (1930)

संगठन

- 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना (1923)
- स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना (1936)
- शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना (1942)

पुस्तकें

- जाति का विनाश (Annihilation of Caste)
- बुद्ध या कार्ल मार्क्स (Buddha or Karl Marx)
- अछूत: वे कौन थे और अछूत कैसे बने (The Untouchable: Who are They and Why They Have Become Untouchables)
- हिंदू महिलाओं का उदय और पतन (The Rise and Fall of Hindu Women)

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ महापरिनिर्वाण भूमि (दिल्ली/अलीपुर रोड):

- वह स्थान जहाँ 6 दिसंबर 1956 को डॉ. अंबेडकर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। भारतीय संविधान के समान डिजाइन किया गया यह स्मारक आधुनिक और बौद्ध **स्थापत्य कला** को जोड़ता है, जो उनकी विरासत का प्रतीक है।

❖ चैत्य भूमि (मुंबई, महाराष्ट्र):

- डॉ. अंबेडकर का समाधि स्थल, हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये आशा और एकता का प्रतीक। यह अंबेडकरवादी और नव-बौद्ध आंदोलनों के लिये एक केंद्रीय सभा स्थल के रूप में कार्य करता है।

❖ इंदु मिल स्मारक (मुंबई):

- दादर में पूर्व इंदु मिल स्थल को एक भव्य स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 350 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा और बौद्ध-प्रेरित वास्तुकला होगी, जो डॉ. अंबेडकर की विरासत का प्रतीक है तथा एक शैक्षिक स्थल प्रदान करेगा।

❖ योजना लाभ:

- यात्रा, आवास और भोजन से संबंधित सभी खर्च **राज्य सरकार** द्वारा वहन किये जाएंगे।

❖ आवेदन प्रक्रिया:

- आवेदकों को ज़िला स्तरीय समिति द्वारा आयोजित समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा।

❖ चयन प्रक्रिया:

- यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध स्लॉट से अधिक हो जाती है, तो चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी या अन्य पारदर्शी विधि के माध्यम से किया जाएगा, जिसके परिणाम आधिकारिक विभागीय वेबसाइट और सूचना पोर्टल पर प्रकाशित किये जाएंगे।

❖ पात्रता मानदंड:

- आवेदक राजस्थान के **अनुसूचित जाति समुदाय** से होना चाहिये
- गैर-आयकरदाता होना चाहिये
- जन आधार कार्ड होना चाहिये और
- संक्रामक रोगों (जैसे, COVID-19, टीबी) से पीड़ित नहीं होना चाहिये।

अभ्यास बोलड कुरुक्षेत्र 2025

चर्चा में क्यों ?

भारत-सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास '**बोलड कुरुक्षेत्र 2025**' का 14वाँ संस्करण 27 जुलाई 2025 से जोधपुर (राजस्थान) में आयोजित किया जा रहा है, जो 4 अगस्त 2025 तक चलेगा।

मुख्य बिंदु

❖ सैन्य अभ्यास के बारे में:

- इस सैन्य अभ्यास में 4 सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड की 42 सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट भाग ले रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ उद्देश्य और संरचना:

- ❶ इस सैन्य अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य मशीनीकृत युद्ध के लिये संचालनात्मक प्रक्रियाओं का सत्यापन करना है, जिससे दोनों सेनाओं के बीच सहभागिता क्षमता और संयुक्त प्रशिक्षण कौशल को मजबूती मिले।

❖ इस अभ्यास में एक टेबल टॉप अभ्यास, एक कंप्यूटर आधारित युद्ध अभ्यास शामिल है तथा इसका समापन भारतीय सेना द्वारा सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी के साथ होगा।

❖ नेतृत्व:

- ❶ भारतीय दल का नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अर्जुन गणपति कर रहे हैं, जबकि सिंगापुर की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल खिड ज़ही युंग (42 सिंगापुर बख्तरबंद रेजीमेंट के बटालियन कमांडर) नेतृत्व कर रहे हैं।

❖ महत्व:

- ❶ यह अभ्यास भारत तथा सिंगापुर के बीच रक्षा सहयोग को और सशक्त करेगा तथा रणनीतिक एवं सामरिक स्तर पर आपसी समझ व सहयोग को बढ़ावा देगा।

मिशन हरियालो राजस्थान

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्यव्यापी हरित अभियान की शुरुआत करते हुए, मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत पाँच वर्षों में 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य घोषित किया है।

मुख्य बिंदु

❖ मिशन हरियालो राजस्थान के बारे में:

- ❶ हरियालो तीज के अवसर पर 7 अगस्त 2024 को मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को अधिक हरित बनाकर इसकी पर्यावरणीय गुणवत्ता और समग्र समृद्धि में वृद्धि करना है।

❖ लक्ष्य:

- ❶ यह अभियान प्रधानमंत्री की पहल ' एक पेड़ माँ के नाम ' से प्रेरित है, जिसे पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर शुरू किया गया था।
- ❶ इस वर्ष हरियाली तीज पर 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जबकि पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे।

❖ शहरी वन पहल:

- ❶ मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान में 22 शहरी वन (नगर वन) विकसित किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त 18 और शहरी वनों की योजना प्रस्तुत की जा चुकी है।
- ❶ इन हरित स्थलों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता सुधारना और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

❖ अन्य संरक्षण प्रयास:

- ❶ राज्य सरकार देशी पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देने तथा राजस्थान में जैवविविधता को बढ़ावा देने के लिये " एक ज़िला एक प्रजाति " कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर रही है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- अरावली हरित विकास परियोजना के अंतर्गत, मृदा विकास और वृक्षारोपण प्रयासों के लिये 19 अरावली जिलों में 250 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
- **मरुस्थलीकरण** से निपटने के लिये बाड़मेर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी जिलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- ❖ **प्रकृति के प्रति पारंपरिक आस्था:**
 - पर्यावरण संरक्षण की राजस्थान की विरासत, जो 18वीं शताब्दी में अमृता देवी द्वारा वृक्षों की रक्षा के लिये अपनी बेटियों के साथ किये गए बलिदान से प्रेरित है, वर्तमान पीढ़ी को प्रकृति के संरक्षण के प्रयासों के लिये प्रेरित करती है।

थार रेगिस्तान में हड़प्पा स्थल की खोज

चर्चा में क्यों ?

इतिहास प्रवक्ता दिलीप कुमार सैनी और स्थानीय नागरिक पार्थ जांगिड़ द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में रताडिया री ढेरी नामक स्थान पर एक नया **हड़प्पा स्थल** खोजा गया है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **नए हड़प्पा स्थल के बारे में:**
 - रताडिया री ढेरी की खोज राजस्थान के **थार रेगिस्तान** में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती है।
 - यह स्थल पाकिस्तान के सदेवाला से 17 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है, जहाँ पहले **हड़प्पा सभ्यता** के अवशेष पाए गए थे।
 - यह खोज राजस्थान और गुजरात के बीच पुरातात्विक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ती है।
- ❖ **पृष्ठभूमि:**
 - इससे पूर्व राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध **हरप्पाई स्थल** उत्तर स्थित **पोलीबंगा** था, जिसकी खोज 20वीं सदी के प्रारंभ में इटालियन भारतविद् लुइगी पिचो टेस्सितोरी द्वारा की गई थी।
- ❖ **प्राप्त अवशेष:**
 - यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में **लाल मृद्भाण्ड** (जैसे कटोरे, हाँडी और घड़े), **मिट्टी व शंख की चूड़ियाँ**, **टेराकोटा की वस्तुएँ**, **पाषाण उपकरण** तथा **कीलनुमा ईंटें** शामिल हैं, जिनका उपयोग **भट्टियों** में किया गया था।
 - इस स्थल पर पाई गई भट्टियाँ गुजरात के **कण्मेर** और पाकिस्तान के **मोहनजोदड़ो** से प्राप्त भट्टियों के समान हैं, जो यहाँ एक **विकसित बस्ती** के अस्तित्व का संकेत देती हैं।
- ❖ **काल निर्धारण एवं महत्व:**
 - पुरातत्त्वविदों ने इस स्थल को **सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व नगरीय चरण** (ईसा पूर्व 2600 से 1900) से संबंधित माना है।
 - इसे **टेराकोटा पट्टिकाओं**, **मृद्भाण्ड**, **पाषाण उपकरण** तथा **चर्ट ब्लेड** के अवशेषों के आधार पर चिह्नित किया गया है, जो इसे **सिंध क्षेत्र के हरप्पाई व्यवस्था** से जोड़ते हैं।
 - **चर्ट ब्लेड** (एक प्रकार का पत्थर) जैसी कलाकृतियाँ, **लंबी दूरी के व्यापार और संसाधनों के बँटवारे** को दर्शाती हैं, जो **सिंधु घाटी के शहरों** की विशेषता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



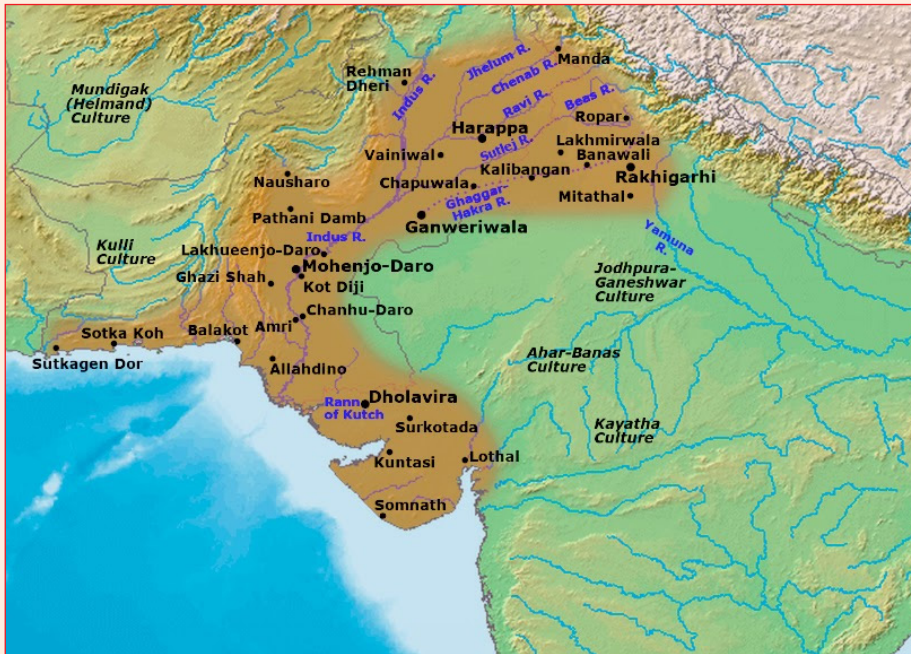
दृष्टि लर्निंग
ऐप



सिंधु घाटी सभ्यता

परिचय:

- हड़प्पा सभ्यता, जिसे **सिंधु घाटी सभ्यता (IVC)** के रूप में भी जाना जाता है, सिंधु नदी के किनारे लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी।
- यह **मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन** के साथ चार प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी।
- ♦ ताँबा आधारित मिश्रधातुओं से बनी अनेक कलाकृतियों की खोज के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ♦ दया राम साहनी ने सबसे पहले वर्ष 1921-22 में हड़प्पा की खोज की और राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की।
- ♦ ASI के महानिदेशक सर जॉन मार्शल उस उत्खनन के लिये जिम्मेदार थे जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों की खोज हुई।
- ♦ **चरण:** NCERT के अनुसार, इस सभ्यता का समय 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। सभ्यता के चरण:
 - प्रारंभिक हड़प्पा (6000 ईसा पूर्व - 2600 ईसा पूर्व): यह सभ्यता का प्रारंभिक चरण है।
 - परिपक्व हड़प्पा (2600 ईसा पूर्व - 1900 ईसा पूर्व): शहरी चरण (परिपक्व हड़प्पा), जो सभ्यता का सबसे समृद्ध चरण है।
 - उत्तर हड़प्पा (1900 ईसा पूर्व - 1300 ईसा पूर्व): पतनशील चरण, जब सभ्यता का पतन शुरू हुआ।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल

स्थल	खोजकर्ता	अवस्थिति	महत्वपूर्ण खोज
हड़प्पा	दयाराम साहनी (1921)	पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है।	- मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ - अन्नागार - बैलगाड़ी
मोहनजोदड़ो (मृतकों का टीला)	राखलदास बनर्जी (1922)	पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है।	- विशाल स्नानागार - अन्नागार - कांस्य की नर्तकी की मूर्ति - पशुपति महादेव की मुहर - दाड़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति - बुने हुए वस्त्र
सुत्कानोडोर	स्टीन (1929)	पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे पर स्थित है।	हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था।
चन्हुदड़ो	एन .जी. मजूमदार (1931)	सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में	- मनके बनाने के कारखाने - बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिह्न
आमरी	एन .जी . मजूमदार (1935)	सिंधु नदी के तट पर	हिरन के साक्ष्य
कालीबंगन	घोष (1953)	राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे	- अग्नि वेदिकाएँ - ऊँट की अस्थियाँ - लकड़ी का हल
लोथल	आर. राव (1953)	गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित	- मानव निर्मित बंदरगाह - गोदीवाडा - चावल की भूसी - अग्नि वेदिकाएँ - शतरंज का खेल

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सेसIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

सुरकोतदा	जे.पी. जोशी (1964)	गुजरात	- घोड़े की अस्थियाँ - मनके
बनावली	आर.एस. विष्ट (1974)	हरियाणा के हिसार जिले में स्थित	- मनके - जौ - हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य
धौलावीरा	आर.एस.विष्ट (1985)	गुजरात में कच्छ के रण में स्थित	- जल निकासी प्रबंधन - जल कुंड



दृष्टि
The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

